149/2016
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
A3

(अपी)ल सूचना अधिकार संख्या 149/2016 अनवानी श्री मनोज कुमार शर्मा, 107 भरत नगर, श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

05–12–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मनोज कुमार उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित है। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा जिस प्रकार से सूचना चाही गई थी वह उसे उस अनुरूप उपलब्ध न करवाकर बल्कि धारा 7(9) का हवाला देकर ईन्कार किया गया है जो सही नही है। उसके द्वारा चाही गई सूचनांए कोई विस्तृत नही है जो आसानी से उपलब्ध करवाई जा सकती है। अतः उसे सूचना दिलवाई जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि है कि अपीलार्थी द्वारा प्रा0 पत्र दिनांक 31.08.16 से चाही गई सूचनांए जनहित से संबंधित नही है और बिन्दु सं0 2 से 5 की सूचनांए उनके कार्यालय में उपलब्ध भी नही है। इसलिए धारा 2(च) व 7(9) के तहत सूचनांए देय नही है। अतः अपील खारिज की जावे।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 02.08.2016 के द्वारा जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

1. वार्ड न0 (पुराना) 25 नया 28 को सन 2014–15 व 2015–16 में रसद कार्यालय द्वारा अलाट (वितरण) किए गए राशन की जानकारी, माहवार प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. वार्ड न0 25 (पुराना) नया 28 वार्ड में राशन डिपिओ की संख्या व डिपो धारको के नाम व पूर्ण विवरण प्रमाणित दस्तावेज।
3. वार्ड न0 25 (पुराना) व 28 (नया) राशन डिपो द्वारा वितरण किए जाने के संबंध में वितरण रजिस्टर सन 2014–15, 2015–16 की प्रमाणित प्रति।
4. वार्ड न0 25 (पुराना) व 28 (नया) धारक की वार्षिक आय की सम्पूर्ण जानकारी

उक्त सूचनांओ के संबंध में अपीलार्थी की अपील पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपना प्रतिवेदन सं0 6103 दिनांक 05.10.2016 प्रस्तुत किया है कि उक्त सभी सूचनांए जिस प्रारूप में अपीलार्थी द्वारा चाही गई है उनके कार्यालय में संधारित व उपलब्ध नही होने के कारण उक्त सूचनांए आरटीआई की धारा 2(च) के तहत देय नही होने के कारण अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन पत्र नियमानुसार निरस्त कर इस की सूचना समय अवधि में पत्रांक 5810 दिनांक 01.09.16 के द्वारा अपीलार्थी को दे दी गई है। अतः अपील निरस्त की जावे।

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने पत्र संख्या 5810 दिनांक 01.09.16 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया हैः–

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O

149/2016
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

AJ

2181-82
20-12-16

उपरोक्त चाही गई सूचनांए जिस प्रारूप में आप द्वारा चाही गई है वह इस कार्यालय में संधारित नही है। आरटीआई की धारा 2(च) में सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। सूचनांए एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनो को अनुपातिक रूप से विचिलत करता है। आरटीआई में धारा 7(9) में ऐसी सूचना उपलब्ध कराया जाना वर्जित है। अतः आपको आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(च) के अनुसार सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो और चाही गई सूचनांए प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए और सूचनांए लोकहित की होनी चाहिए। सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना खोजकर भी सूचना उपलब्ध करवाने का कोई प्रावधान नही है। इस दृष्टि कोण से लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही प्रतीत होता है फिर भी सूचना अधिकार अधिनियम की भावनाओ को देखते हुए हम चाहते है कि उक्त सूचनांओ में से जो सूचना आसानी से उपलब्ध करवाई जा सकती हो वह उसे कार्यालय कार्य को बिना बाधित किए उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इसलिए मामले को पुनः न्यायहित में लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को रिमाण्ड किया जाता है कि उक्त दिये गये निदेशो को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी को नियमानुसार सूचनांए उपलब्ध करवाएं। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 05.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर